राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 152/14.....जिला.....जयपुर.....
उनवान–मैसर्स इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि., अशोक चौक, आदर्श नगर, जयपुर बनाम् वा.क.अ., घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.03.2014	**एकलपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक **30.12.2013,** जो राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "विक्रय कर अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 42(4) सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा विक्रय कर अधिनियम की धारा 78(5) सपठित अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् आरोपित शास्ति 6,01,037/– की वसूली पर अपीलीय अधिकारी द्वारा रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करने को विवादित कर सुनवायी के दौरान **रू0 2,09,339/–** की बकाया मांग राशि की वसूली पर रोक लगाने हेतु निवेदन किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी के अधिवक्ता श्री टी.सी.जैन एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री एन.के.बैद रोक आवेदन पत्र पर बहस हेतु दिनांक 28.02.2014 को उपस्थित हुये। उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किया जा रहा है। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवम् दोनों अवर अधिकरियों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन, उभयपक्षीय तर्कों पर विचार करने व अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा **कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) के न्यायिक दृष्टांत अपील संख्या 1714/2013/हनुमानगढ़, निर्णय दिनांक 30.10.2013 के आलोक में, प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा संतुलन प्रत्यर्थी अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रतीत होता है।** अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर बकाया मांग राशि **रू0 2,09,339/–** की वसूली पर अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय तक रोक इस शर्त के साथ लगाई जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अन्यथा यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जावे। साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण का निस्तारण इस आदेश की तिथि से तीन माह की अवधि में करना सुनिश्चित करें। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया । 6.3.2014 (मदन लाल) सदस्य	